(21)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

रिविजन क्रमांक निगरानी 481-I-15 सन्

सुम्मी तनय श्री लालचन्द्र अहीर
निवासी ग्राम महिलवार तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 .....निगरानीकर्ता

बनाम

राज्य शासन म0प्र0 .....उत्तरवादी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्व न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 45/अ–19(4)/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2015 से दुःखित होकर।

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है–

निगरानी के तथ्य

यह कि भूमि खसरा नं0 538 रकवा 1.246हे0 खसरा नं0 539, रकवा 1.769हे0 स्थित ग्राम महिलवार तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 की आराजी है जो दखिल रहित भूमि है, जिसे म0प्र0 कृषि प्रयोजनो के लिये उपयोग की जा रही दखिल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारो का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के अन्तर्गत नियम 3 के अनुसार निगरानीकर्ता को विवादित भूमि पर तहसीलदार राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ–'19(4)/2001–02 में आदेश दिनांक 25.07.2002 के द्वारा निगरानीकर्ता को भूमि स्वामी घोषित किया गया। उक्त् आदेश के विरूद्व न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा स्वप्रेरणा निगरानी प्रकरण वर्ष 2005–06 में दर्ज कर निगरानीकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.07.2014 को जारी किया गया जिसका जवाब निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत करते हुए प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की गई कि स्वप्रेरणा निगरानी में प्रकरण में निर्धारित अवधि छः माह के अंदर लिया जा सकता था, किन्तु लगभग चौदह वर्ष पश्चात् स्वप्रेरणा निगरानी की शक्ति का प्रयोग करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही है, परन्तु विद्ववान अपर कलेक्टर ने इस संबंध में कोई विस्तृत जॉच न कर सरसरे तौर पर दिनांक

क्रमशः//2//

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–481–एक/2015 **जिला–छतरपुर**

सुम्मी विरूद्ध राज्य शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25–04–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–छतरपुर के प्र. क्र. 45/अ–19(4)/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 19–01–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06–06–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 25/4/19	